

न्यायालय:-अमनदीप सिंह छाबड़ा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर, जिला बालाघाट(म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक 03 / 13

संस्थित दिनांक -01 / 01 / 13

फा.नंबर-234503002992013

म0प्र0 राज्य द्वारा, थाना बैहर,
जिला बालाघाट म0प्र0

.....अभियोगी

// विरुद्ध //

दुर्गा पिता राजेश यादव उम्र-28 साल,
निवासी वार्ड नंबर-13 बैहर थाना बैहर जिला बालाघाट म0प्र0

.....आरोपी

::निर्णय::

{ दिनांक **08 / 09 / 2017** को घोषित }

01. आरोपी के विरुद्ध भा.दं0सं0 की धारा-279 के तहत दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 20.12.2012 को दिन में नगरपालिका काम्पलेक्स के सामने थाना बैहर अंतर्गत लोकमार्ग पर मेटाडोर क्रमांक सी.जी. 08जेड.बी.0217 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया।

02. अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी ढलकराम ने दिनांक 22.12.2012 को थाना बैहर आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी नगरपालिका के सामने श्रद्धा स्टेशनरी की दुकान है, वह दिनांक 20.12.2012 को सुबह 8:00 बजे उसकी दुकान पहुँचा था कि तभी उसकी दुकान को मेटाडोर क्रमांक सी.जी.08जेड.बी.0.217 का चालक ने तेज रफ्तार लापरवाहीपूर्वक चलाकर लाया और ठोस मार दिया, जिससे दुकान का सटर बेंड हो गया एवं दीवाल में जगह-जगह पर क्रेक आ गया है तथा दुकान में रखी सामग्री टूट-फूट हो गई है। घटना को धर्मेन्द्र बिसेन व ललित तुरकर ने देखे हैं। उसकी दुकान को ठोस मारने से उसकी दुकान में करीब 50-60 हजार रुपये का नुकसान हुआ है। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना के गवाहों के कथन लेख किये गये। आरोपी चालक को गिरफ्तार कर जमानत मुचलका पर रिहा किया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03. अभियुक्त ने निर्णय के चरण एक में वर्णित आरोप को अस्वीकार कर अपने परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दं.प्र.सं. में यह बचाव लिया है कि वह

निर्दोष हैं तथा उसे झूठा फंसाया गया है। कोई प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं की।

04. प्रकरण के निराकरण के लिए विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

- (1) क्या आरोपी ने दिनांक 20.12.2012 को दिन में नगरपालिका काम्पलेक्स के सामने थाना बैहर अंतर्गत लोकमार्ग पर मेटाडोर क्रमांक सी.जी.08जेड.बी.0217 को उपेक्षा या उतावलेपन से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया ?

::सकारण निष्कर्ष::

05. साक्षी ढलकराम(अ0सा0-02) का कथन है कि वह आरोपी को पहचानता है। घटना वर्ष 2012 के लगभग 08:00 बजे नगरपालिका कॉम्पलेक्स बैहर की है। घटना के समय वह अपनी स्टेशनरी दुकान खोलने के लिये आ रहा था, तभी पीछे से आरोपी ने मेटाडोर वाहन को तेज गति से लापरवाहीपूर्वक चलाकर उसकी दुकान को ठोस मार दिया था। उक्त टक्कर से दुकान का शटर बँड हो गया था, दुकान की दिवाल में क्रेक आ गये थे एवं दुकान में रखा हुआ सामान तथा शो-केस भी टूट-फूट गया था। घटना के समय वाहन को आरोपी दुर्गा यादव चला रहा था। घटना की रिपोर्ट उसने थाना बैहर में की थी जो प्र.पी.01 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके समक्ष घटनास्थल का नजरी नक्शा प्र.पी.02 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दुर्घटना में उसे लगभग 60-70 हजार रुपये का नुकसान हुआ था। पुलिस ने उसके समक्ष नुकसानी पंचनामा प्र.पी.05 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया कि घटना सुबह के 6:30 बजे की है, उसने बाद में आकर दुकान की शटर टूटी हुई देखा था, घटनास्थल पर तिराहा होने के कारण सकरी गली है, उसकी दुकान सकरी गली में स्थित है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसकी दुकान कार्नर पर है, जिससे दो रोड लगी हुई है। साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि उक्त दुकान सकरी गली में स्थित होने के कारण आरोपी के द्वारा वाहन को तेज गति से नहीं चलाया जा रहा था। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि वह वाहन की गति नहीं बता सकता। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया कि मेटाडोर के पिछले भाग से टक्कर हुई थी, उसने घटना होते हुए नहीं देखा था, उसने पुलिस कथन में पुलिस को वाहन का नंबर नहीं बताया था, पुलिस ने उसके समक्ष घटनास्थल का नजरी नक्शा प्र.पी.02 एवं नुकसानी पंचनामा प्र.पी.05 की कार्यवाही नहीं की थी तथा वह आरोपी को फंसाने के

लिये झूठे कथन कर रहा है।

06. साक्षी धर्मेन्द्र बिसेन(अ0सा0-03) का कथन है कि वह आरोपी को नहीं पहचानता है। घटना उसके साक्ष्य दिये जाने की तिथि से दो वर्ष पूर्व 7:30-8:00 बजे की है। घटना के समय वह घटनास्थल के सामने चाय दुकान में दूध दे रहा था, तभी उचित मूल्य की दुकान बैहर की तरफ से आरोपी की मेटाडोर आई और प्रार्थी की दुकान को सामने से टक्कर मार दी थी। उक्त टक्कर से प्रार्थी की दुकान की शटर बँड हो गई थी और दिवाल क्रेक हो गई थी। घटना के समय उसने चालक को नहीं देखा था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया कि घटना लगभग 8:30 बजे की है, घटनास्थल पर वह घटना होने के बाद पहुँचा था, मेटाडोर के पीछे भाग से टक्कर हुई थी तथा वह प्रार्थी से मिलकर प्रार्थी के पक्ष में बयान दे रहा है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार किया कि उसने प्र.पी.01 का कथन पुलिस को नहीं दिया था, पुलिस ने कैसे लिख लिया वह इसका कारण नहीं बता सकता।

07. साक्षी ललित तुरकर (अ0सा0-05) का कथन है कि वह को जानता है। घटना दिनांक 20.12.2012 के सबह 8:00 बजेनगरपालिका कॉम्प्लेक्स बैहर की है। वह ढलकराम राहंगडाले की दुकान के सामने चाय पी रहा था, तभी आरोपी की मेटाडोर आई और ढलकराम की दुकान को ठोस मार दी। घटना में दुकान का शटर एवं सामान खराब हो गया था तथा दीवारें क्रेक हो गई थी। दुर्घटना आरोपी की गलती से हुई थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि मेटाडोर क्रमांक सी.जी.04जेड.0217 के चालक ने तेज रफ्तार व लापरवाहीपूर्वक चलाकर ढलकराम की स्टेशनरी दुकान को ठोस मारा था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि घटना सुबह 6:30 बजे की है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह स्वीकार किया कि घटना के समय दुकान नहीं खुली थी, मेटाडोर में सामान लदा हुआ था। उसे ध्यान नहीं है कि मेटाडोर में लोहे की राड थी। यह अस्वीकार किया कि मेटाडोर रिवर्स करते समय लोहे की राड सटर से टकराई थी। यह स्वीकार किया कि आरोपी द्वारा उक्त वाहन को जगह सकरी होने की वजह से तेज रफ्तार से नहीं चलाया गया था। साक्षी के अनुसार मध्यम गति चल रही थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि घटना जानबूझकर कारित नहीं की गई थी। साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि घटना आरोपी चालक की गलती से नहीं हुई थी।

08. साक्षी धीरेन्द्र साहू(अ0सा0-07) का कथन है कि घटना तीन चार साल पूर्व नगरपालिका काम्पलेक्स के सामने बैहर की है। पुलिस ने उसके समक्ष ढलकराम राहंगडाले की स्टेशनरी दुकान के संबंध में नुकसानी पंचनामा तैयार किया गया था, जिसमें करीब पचास-साठ हजार रुपये की नुकसानी बताई गई थी, जो प्र.पी.05 है, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि नुकसानी पंचनामा प्र.पी.05 पर उसने पुलिसवालों के कहने पर हस्ताक्षर कर दिये थे, उसने दस्तावेजों को पढ़कर नहीं देखा था और ना ही पुलिसवालों ने उसे पढ़कर सुनाया था।

09. साक्षी शिवप्रसाद(अ0सा0-06) का कथन है कि वह आरोपी को जानता है। उसे थाना बैहर से धारा-133 मो.व्ही. एक्ट के तहत नोटिस प्राप्त हुआ था, जिसका उसने लिखित जवाब दिया था कि दिनांक 20.12.12 को उसकी गाड़ी मेटाडोर क्रमांक सी.जी.08/जेड.बी.0217 को आरोपी दुर्गा को चलाने दिया था, जो प्र.पी.07 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

10. साक्षी रमजान खान(अ0सा0-04) का कथन है कि वह आरोपी को नहीं जानता है। उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। उसने कोई वाहन का परीक्षण नहीं किया था। सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि उसने वाहन क्रमांक सी.जी.08जेड.बी.0217 का परीक्षण किया था तथा परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी.06 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी के अनुसार उसके जैसे हस्ताक्षर किसी और ने कर दिये हैं।

11. साक्षी लक्ष्मीचंद चौधरी(अ.सा.01) का कथन है कि वह दिनांक 22.12.2012 को थाना बैहर में सहायक उपनिरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को फरियादी ढलकराम की मौखिक रिपोर्ट पर मेटाडोर क्रमांक सी.जी.08जेड.बी.0217 के विरुद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्र.पी.01 जिसका अपराध क्रमांक 193/12 धारा-279 भा.दं.सं. के तहत लेख किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक 23.12.2012 को प्रकरण की डायरी विवेचना हेतु प्राप्त होने पर ढलकराम की निशादेही पर घटनास्थल का नजरी नक्शा प्र. पी.02 तैयार किया गया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही प्रार्थी ढलकराम, साक्षी ललित, धर्मेन्द्र के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया था। दिनांक 23.12.2012 को आरोपी दुर्गा से मेटाडोर क्रमांक सी.जी.00जेड.बी.0217 मय दस्तावेज के जप्ती पत्रक प्र.पी.03 के अनुसार गवाहों के समक्ष जप्त किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी को गवाहों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.04 तैयार

किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दुर्घटना में प्रार्थी ढलकराम की दुकान को हुई क्षति के संबंध में नुकसानी पंचनामा प्र.पी.05 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं, जिसमें प्रार्थी को लगभग 50-60 हजार रुपये का नुकसान हुआ था। जप्तशुदा वाहन का विधिवत् मैकेनिकल परीक्षण कर रिपोर्ट चालान के साथ संलग्न किया था। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र थाना प्रभारी को प्रस्तुत किया जाकर न्यायालय को प्रेषित किया गया था प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि उक्त घटना की रिपोर्ट शाम को 6:40 बजे दर्ज कराई थी, घटना सुबह 8:00 बजे की है। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसने प्रार्थी से लिखित रिपोर्ट नहीं मांगी थी, प्रार्थी के मौखिक बताये जाने पर रिपोर्ट दर्ज किया था। साक्षी ने यह अस्वीकार किया कि उसने थाने में बैठकर मौका नक्शा तैयार किया था, उसने साक्षियों के कथन अपने मन से लेख कर लिया था, उसने जप्ती पत्रक प्र.पी.03 पर आरोपी दुर्गा यादव के हस्ताक्षर थाने में करवाया था, उसने प्रार्थी के बताये अनुसार नुकसानी पंचनामा बिना तस्दीक के तैयार कर लिया था।

12. उपरोक्त साक्ष्य से यह सिद्ध होता है कि घटना के समय अभियुक्त द्वारा चालित वाहन से हुई दुर्घटना में परिवादी ढलकराम की दुकान में नुकसानी कारित हुई थी, क्योंकि परिवादी ढलकराम अ.सा.02 द्वारा अपनी अखण्डनीय साक्ष्य में उक्त संबंध में कथन किये हैं, जिसके पुष्टि धर्मेन्द्र अ.सा. 02 तथा ललित तुरकर अ.सा.05 के कथनों से होती है। यद्यपि धर्मेन्द्र अ.सा.03 ने आरोपी को नहीं पहचानने के कथन किये हैं, तथापि शिवप्रसाद अ.सा.07 के कथनों से भी घटना के के समय अभियुक्त द्वारा वाहन चालक के तथ्य की पुष्टि होती है। लगभग सभी अभियोजन साक्षियों ने अभियुक्त के वाहन से टक्कर के कारण परिवादी की दुकान का शटर बंद होने तथा दीवाल में क्रेक होने के कथन किये हैं। मौका नक्शा प्र.पी.02 से घटनास्थल सड़क के किनारे दर्शित है। अभियोजन साक्षियों के कथनों से नुकसानी पंचनामा प्र.पी.05 की भी पुष्टि होती है। ऐसी स्थिति में सड़क किनारे की दुकान में अभियुक्त द्वारा वाहन से टक्कर मारकर जिस प्रकार का नुकसान कारित किया गया है, उससे उसके उतावलेपन एवं उपेक्षापन का निष्कर्ष सहज निकाला जा सकता है। प्रकरण में घटनास्थल की परिस्थितियाँ स्वयं दर्शित करती हैं कि अभियुक्त द्वारा किस प्रकार अंधाधुंध तरीके से दुकान में वाहन से टक्कर मारी गई।

13. उपरोक्त संपूर्ण विवेचना से अभियोजन यह संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि घटना के समय अभियुक्त दुर्गा यादव द्वारा अपने वाहन मेटाडोर क्रमांक सी.जी.08जेड.बी.0217 को लोक मार्ग पर उतावलेपन एवं उपेक्षा से चलाकर मानव जीवन संकटापन्न किया।

14. फलतः अभियुक्त दुर्गा यादव को धारा-279 भा.द.वि. के आरोप में दोषसिद्ध घोषित किया जाता है।

15. अभियुक्त के विरुद्ध किसी पूर्वतन दोषसिद्धि का कोई प्रमाण अभिलेख पर नहीं है तथा प्रकरण के परिवादी द्वारा न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह व्यक्त किया गया है कि वह उक्त दुर्घटना की क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त कर चुका है, लेकिन वर्तमान समय में बढ़ती हुई सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुये उसे अपराधी परवीक्षा अधिनियम 1958 के प्रावधानों का लाभ देना अथवा उसके विरुद्ध नर्म रुख लिया जाना उचित नहीं होगा। फलतः उसे एक उचित दण्ड देने की आवश्यकता है।

16. अतः अभियुक्त दुर्गा यादव को धारा 279 भा.दं०सं० में दोषी पाकर न्यायालय उठने तक के कारावास एवं 1000/- (एक-हजार) रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगताया जावे।

17. आरोपी प्रकरण में अभिरक्षा में नहीं रहा हैं, उक्त संबंध में धारा-428 द०प्र०सं० का प्रमाण पत्र बनाया जावे जो कि निर्णय का भाग होगा।

18. अभियुक्तगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किय जाते हैं।

19. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति वाहन मेटाडोर क्रमांक सी.जी.08जेड. बी.0217 वाहन के पंजीकृत स्वामी की सुपुर्दगी में है। सुपुर्दनामा अपील अवधि के पश्चात वाहन स्वामी के पक्ष में उन्मोचित हो तथा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देश का पालन किया जावे।

20. अभियुक्त को निर्णय की प्रतिलिपि धारा 363(1) द्र.प्र.सं. के तहत निशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

सही / -

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)

मेरे उद्बोधन पर टंकित किया।

सही / -

(अमनदीप सिंह छाबड़ा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
बैहर, बालाघाट (म.प्र.)